

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(15)एम.ई. / ग्रुप-1 / 2017

जयपुर, दिनांक:

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
मेडिकल कॉलेज,
बीकानेर।

11 SEP 2017

विषय:— आवश्यक/अस्थायी आधार पर नियुक्त सहायक आचार्य/वरिष्ठ प्रदर्शक के कार्यग्रहण काल में वृद्धि बाबत।

संदर्भ:— आपका पत्र क्रमांक 357 दिनांक 01.08.2017

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा आवश्यक/अस्थायी आधार पर नियुक्त सहायक आचार्य/वरिष्ठ प्रदर्शक के कार्यग्रहण काल में वृद्धि किए जाने के सम्बन्ध में निर्देशानुसार लेख है कि आवश्यक/अस्थायी आधार पर चयनित चिकित्सकों के कार्यग्रहण अवधि में अभिवृद्धि किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः संदर्भित पत्र उल्लेखित निम्नांकित चिकित्सकों के नियुक्ति आदेश तुरन्त प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं :-

क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	पद नाम जिस पर नियुक्ति की गई थी।
1.	डॉ० सविता राठी	सहा.आचार्य, निश्चेतन
2.	डॉ० वेद प्रकाश	वरि.प्रदर्शक, माइक्रोबायोलोजी
3.	डॉ० संदीप नेमीवाल	वरि.प्रदर्शक, बायोफिजिक्स
4.	डॉ० गौरव जोशी	वरि.प्रदर्शक, एनाटोमी
5.	डॉ० समीर मोहम्मद	वरि.प्रदर्शक, एनाटोमी

भवदीय,



(भगवत सिंह)
शासन उप सचिव